न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या 85 / 2018 **(RCMS No. 2018/00172)**

वादीगण

1. पुराराम पुत्र भोलूराम जाति मेघवंशी निवासी राजपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी) तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।

दावा– इस्तकरार हक व खातेदारी घोषणा बाबत अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955

उपस्थित – श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादी की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 30.8.19

प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी स्वर्गीय बोदूराम के वारिसान है जिनका सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

बोदूराम (फौत)

- अमराराम (पुत्र–फौत)
  - सुन्दर देवी (पत्नि–फौत)
    - बिदामीदेवी (पुत्री–फौत)
- भोलूराम (पुत्र–फौत)
  - पुराराम (पुत्र)

ग्राम राजपुरा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 289 रकबा 1.97 हैक्टर, खसरा नम्बर 293 रकबा 3.69 हैक्टर कुल रकबा 5.66 हैक्टर भूमि स्थित चली आ रही है उपरोक्त भूमि स्व. बोदूराम की खातेदारी में दर्ज चली आ रही थी उनके स्वर्गवास हो जाने पर उनके जायन्दा पुत्र स्व. अमराराम व स्व. भोलूराम के नाम खातेदारी दर्ज हो गयी, स्व. अमराराम के स्वर्गवास हो जाने पर उनके स्थान पर उनकी पत्नि सुन्दरदेवी के जरिये वारिसान उनके स्थान पर उनकी पत्नि सुन्दरदेवी से करीबन 20–20 वर्ष पूर्व बिदामीदेवी लाऔलाद फौत हो गयी थी व स्व. भोलूराम के स्वर्गवास हो जाने पर मुझ वादी जरिये उत्तराधिकार नाम दर्ज चली आ रही है, उपरोक्त भूमि सम्पूर्ण का मुझ वादी काबिज खातेदार चला आ रहा है खातेदार सुन्दरदेवी एक मात्र संतान बिदामीदेवी जो कि सुन्दर देवी से पूर्व ही फौत हो चुकी थी इस प्रकार सुन्दरदेवी एक मात्र वारिस वादी काबिज चला रहा है जो कि सुन्दरदेवी वादी की चाची लगती है, उपरोक्त भूमि का जरिए हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार सम्पूर्ण भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 12:05:48 IST
Reason: SelfAttested

....2....

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

का वादी एक मात्र वारिस काबिज चला आ रहा है जिसके खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाया जाना आवश्यक हुआ है, बिनाय दावा वादी द्वारा पटवारी हल्का को उक्त भूमि की तस्दीक करने बाबत कहा तो उन्होने ऐसा न्यायालय आदेश से ही किया जा सकना बताया, प्रतिवादी संख्या एक भूमिधारी तहसीलदार होने से औपचारिक पक्षकार है वादी की इस्तदुआ है कि ग्राम राजपुरा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 289 रकबा 1.97 हैक्टर, खसरा नम्बर 293 रकबा 3.69 हैक्टर कुल रकबा 5.66 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि का वादी काबिज खातेदार कृषक है इस आशय की स्पष्ट खातेदारी अधिकारो की घोषणा कि डिक्री सादिर फरमाई जावे, व उक्त खातेदारी में से सुन्दरदेवी पत्नि अमराराम का नाम हटाया जावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया, जो शामिल मिसल उपलब्ध है, जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि राजस्व अभिलेख अनुसार ग्राम राजपुरा के खसरा नम्बर 289 रकबा 1.97 हैक्टर व 293 रकबा 3.69 हैक्टर कुल रकबा 5.66 हैक्टर पुराराम पुत्र भोलू 1/2, सुन्दर पत्नि अमराराम 1/2 खातेदार दर्ज है, वादी सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त कंर अभिलेख में नाम दर्ज करवाया जाना वांछित है, धारा 80 सी.पी.सी. के नोटिस के अभाव में वाद चलने योग्य नही है, वादी द्वारा विधिवत मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं वारिसान के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने पर ही वारिसान का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जा सकता है वाद चलने योग्य नही है, खारिज फरमाया जावें।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी द्वारा नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–74, राशन कार्ड की छाया प्रति, आधार कार्ड की छाया प्रति, सुन्दरी के मृत्यु प्रमाण–पत्र की प्रति, शपथ–पत्र की प्रति प्रस्तुत की, मौखिक साक्ष्य में वादी पुराराम का शपथ–पत्र, गवाह गोमाराम पुत्र बिरदाराम मेघवाल नि. राजपुरा, सुखदेवराम पुत्र खांगाराम जाट नि. राजपुरा, गवाह तुलछाराम पुत्र हरजीराम मेघवाल नि. रा[illegible] शपथ–पत्र प्रस्तुत किया। उपलब्ध रेकर्ड के आधार पर तनकियात कायम की गई :-

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 12:05:48 IST
Reason: SelfAttested

1. आया वादी ग्राम राजपुरा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 289 रकबा 1.97 हैक्टर, खसरा नम्बर 293 रकबा 3.69 हैक्टर कुल रकबा 5.66 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि पर वादी काबिज खातेदार कृषक है तथा सुन्दरदेवी पत्नि अमराराम का नाम हटाया जाकर वादी अपने पक्ष में खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाये जाने का मुश्तहक है ?

––– जिम्मे वादी

2. आया प्रतिवादी को धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस नही दिये जाने से वाद चलने योग्य नही है ?

––– जिम्मे प्रतिवादी

3. आया प्रतिवादी ने जवाब में कथन किया है कि वादी विधिवत मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं वारिसान के संबंध में सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही वारिसान का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा सकता है, वाद चलने योग्य नही है, काबिल खारिज फरमााया जावे ?

––– जिम्मे प्रतिवादी

4. अनुतोष ।

उभय पक्षकारान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से है

तनकी संख्या एक– इस तनक को साबित करने का भार वादी पर था, जिसके समर्थन में उपलब्ध साक्ष्य एवं शपथ पत्र एवं सुन्दरदेवी के मृत्यु प्रमाण–पत्र अनुसार वादी के परिवार में अमराराम, सुन्दरदेवी बिदामीदेवी भोलूराम की मृत्यु हो चुकी है तथा सुन्दरदेवी के वंशज कोई नही बचा है तथा परिवार सदस्य पुराराम ही बचा है तथा सुन्दर देवी वादी की काकी है जिसके कोई वारिस नही होने से वादी को खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया है, जमाबन्दी नकल सम्वत 2071–74 ग्राम राजपुरा के खसरा नम्बर 289 रकबा 1.97 हैक्टर खसरा नम्बर 293 रकबा 3.69 हैक्टर कुल रकबा 5.66 हैक्टर पुराराम पुत्र भोलु सुन्दर पत्नि अमराराम जाति मेघवंशी सा. देह खातेदार नामान्तरकरण सं. 280 दिनॉक 23.09.16 न्यायालय आदेश सेग्रीगेशन से पुराराम पुत्र भोलू 1/2 सुन्दर पत्नि अमराराम 1/2 जाति मेघवंशी सा. देह खातेदार दर्ज है। उपरोक्त भूमि में उपरोक्त वादी ही उक्त परिवार में सदस्य रहा है तथा खातेदारी अधिकारो की घोषणा कराये जाने का हकदार है, प्रतिवादी द्वारा उक्त परिप्रेक्ष्य में कथन किय है कि सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने पर ही वारिसान का नामान्तरकरण राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जा सकता है। उपलब्ध रेकार्ड अनुसार सुन्दर देवी पत्नि अमराराम की मृत्यु हो चुकी है तथा सजरा खानदान अनुसार वादी ही अकेला परिवार का सदस्य जीवित है, परन्तु ऐसी किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य इत्यादि से यह साबित नही हो रहा है कि अमराराम के परिवार में केवल पुराराम ही उत्तराधिकारी हो, बिदामी देवी के संबंध में किसी प्रकार का मृत्यु प्रमाण–पत्र इत्यादि प्रस्तुत नही हुआ है, केवल मात्र कथन से बिदामी देवी का फौत नही माना जा सकता, वादी द्वारा सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही अनुतोष पाने का अधिकारी है अतः तनकी संख्या 1 वादी साबित करने में असफल रहा है, अतः तनकी संख्या एक वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 12:05:48 IST
Reason: SelfAttested

तनकी सं. 2– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था, जिसने कथन किया है कि धारा 80 सीपीसी का नोटिस नही दिया गया है, जो कि दावा दर्ज प्रस्तुत किये जाने से धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना जरूरी था, यह तनकी भी वादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

.....4.....

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

तनकी सं. 3– वादी विधिवत मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं वारिसान के संबंध में सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने पर ही वारिसान का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा सकता है। प्रस्तुत साक्ष्य इत्यादि अनुसार वादी यह तनकी भी साबित करने में असमर्थ रहने से यह तनकी वादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 4 – अनुतोष

उपलब्ध रेकार्ड एवं गवाहो के शपथ–पत्र मौखिक साक्ष्य वादी अन्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि मे वादी द्वारा सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नही करने एवं राजस्थान सरकार पक्षकारा होने से 80 सीपीसी के नोटिस नही दिये जाने एवं सुन्दर देवी की पुत्री के संबंध में किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये जाने इत्यादि से वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है, अतः वाद वादी साबित नही होने से काबिल खारिज योग्य है।

आदेश

अतः वाद वादी साबित नही होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निर्णय आज दिनॉक 30.8.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(बाबुलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 12:05:48 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या 85/2018 **(RCMS No. 2018/00172)**

वादीगण

1. पुराराम पुत्र भोलूराम जाति मेघवंशी निवासी राजपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी) तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।

दावा— इस्तकरार हक व खातेदारी घोषणा बाबत अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादी की ओर से श्री .... की ओर से हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू ....मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी साबित नही होने से खारिज किया जाता है।

निज .... मुबलिग .... बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 30....माह ....8...... सन्....2018.... को जारी की गई।

(मुहर)

उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी (नागौर)

दस्तखत.................

ओहदा.................

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमि□नर		
फिस कमि□नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 12:05:48 IST
Reason: SelfAttested